

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3109]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2017/कार्तिक 16, 1939

No. 3109]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2017/KARTIKA 16, 1939

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2017

का.आ. 3547(अ).—केंद्रीय सरकार, यान हरण रोधी अधिनियम, 2016 के खंड 6 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री विक्रम खलाते, पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी, मुंबई को अपराध अन्वेषण शाखा (डीसीबी) पुलिस स्टेशन, अहमदाबाद सिटी में यान हरण रोधी अधिनियम, 2016 के खंडों 3(1), 3(2)(क) और 4(ख) के अंतर्गत पंजीकृत सीआर सं. 1-85/2017 के संबंध में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोज्य गिरफ्तार, अन्वेषण एवं अभियोजन की शक्तियां प्रदान करती है।

[फा. सं. एवी. 11012/11/2016-एस]

उषा पाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2017

S.O. 3547(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Anti-Hijacking Act, 2016 (No. 30 of 2016), the Central Government hereby confers on Shri Vikram Khalate, Superintendent of Police, National Investigation Agency, Mumbai, the powers of arrest, investigation and prosecution exercisable by a Police Officer under the Code of Criminal Procedure, 1973 in relation to CR No. I-85/2017 registered under Sections 3(1), 3(2)(a) and 4(b) of the Anti-Hijacking Act, 2016 at Detection of Crime Branch (DCB) Police Station, Ahmedabad City.

[F. No. AV.11012/11/2016-AS]

USHA PADHEE, Jt. Secy.